

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता बीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

गुरलाल सिंह अठवाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 01/2022

निर्णय दिनांक :- 06.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर व हाजरी वादी गुरलाल सिंह अठवाल पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,
भली-भाति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 1 एन की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के
खाता संख्या 04/04 में क्रम संख्या 3 पर दर्ज नाम गुरलाल सिंह पुत्र ईकबाल सिंह के स्थान पर
गुरलाल सिंह अठवाल पुत्र ईकबाल सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के
शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 06.01.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
{राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00



क्रमांक: रीडर/ 2022/09

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
{राजस्व}

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 6/1/22

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
{राजस्व}